UPHR010046032026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, हरदोई।

उपस्थितः– कुसुम लता, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J. O. Code UP 6303)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2176/2026

सुरदीप उर्फ कौशलेन्द्र सिंह पुत्र स्व० अजय पाल सिंह निवासी ग्राम जगदीशखेड़ा, थाना बेनीगंज, जिला हरदोई---------- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य---------- अभियोगी

सत्र वाद संख्या–1860/2022
मुकदमा अपराध संख्या–80/2021
धारा–436, 427 भा०दं०सं०
थाना– कछौना, जिला– हरदोई।

दिनांक–02.07.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त सुरदीप उर्फ कौशलेन्द्र सिंह जेल में निरुद्ध है, द्वारा अधिवक्ता उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र के साथ शपथी उमेश का शपथ पत्र संलग्न है।

2– मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त एक गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जो बाहर रहकर मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने पूर्व अधिवक्ता के इस आश्वासन पर मजदूरी करने बाहर चला गया था कि उसके अधिवक्ता तारीख पेशी लेते रहेगे और आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थी को सूचना करके पेशी हेतु बुला लेंगे। इसी विश्वास पर बाहर काम करता रहा कि उसके अधिवक्ता आवश्यकता पड़ने पर उसे सूचित कर देंगे। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जानबूझकर पेशी पर आने की चूक नहीं की गई है। बल्कि अधिवक्ता द्वारा उसको सूचित न करने और उसके पुत्र के हाथ में चोट लगने व उसके इलाज में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में बराबर पेशी पर उपस्थित आता रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में न ही विचाराधीन है और न ही

Digitally signed by KUSUM LATA RATHORE
Date: 2026.07.03 16:29:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

खारिज किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

5– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था, किन्तु उसकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध एन०बी०डब्लू० की आदेशिका जारी की गयी थी। अभियुक्त दिनांक 29.06.2026 से जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के तथ्यों के आधार पर गुण–दोष पर मत व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाना उचित होगा।

–आदेश–

प्रार्थी/अभियुक्त **सुरदीप उर्फ कौशलेन्द्र सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **पचीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र व सम राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।
6. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक–02.07.2026

(कुसुम लता)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3,
हरदोई।